राजस्थान सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)**

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

| राजस्व वाद संख्या | तारीख रजू : | निर्णय दिनांक 21-12-2023 |
|---|---|---|
| 365 / 21 | 23.09.2021 | |

उनवानः

1. विधानन्द पुत्र अमीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम हुडियाकलां तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमराना

...प्रतिवादी

दावा दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थितीः– श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

## :: निर्णय ::

वादी द्वारा पेश दावा के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 330 रकबा 0.08 है0, 334 रकबा 0.09 है0, 335 रकबा 0.16 है0, 352 रकबा 0.19 है0, 353 रकबा 0.09 है0, 126 रकबा 0.54 है0, 331 रकबा 0.08 है0, 336 रकबा 0.73 है0, 337 रकबा 0.51 है0, 405 / 793 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम हुडियाकलां तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 मे स्थित है उक्त आराजी मे मिन वादी 1/2 दर 1 बैल का खातेदार काश्तकार हूँ तथा यह खातेदारी इन्द्राज संवत 2072 से 2075 की जमाबन्दी मे सही दर्ज किया हुआ है तथा इससे पुर्व के रिकार्ड मे भी यह खातेदारी इन्द्राज सही दर्ज है तथा मिन वादी से पुंर्व वादी के बुजूर्गो के नाम से यही खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे था । उक्त आराजी की खातेदारी मिन वादी को मेरे बुजूर्गो से प्राप्त हुई है। जिस पर पहले मिन वादी के बुजूर्ग काबिज थे तथा उनके बाद मिन वादी काबिज हूँ। लेकिन सैग्रिगेशन जमाबन्दी तैयार की गई उसमे राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना पुर्व रिकार्ड के मुताबिक आंकलन किये व बिना पुछताछ किये ही गलती व लापरवाही से आराजी मुतनाजा मे वादी के नाम से 1/42 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो खिलाफ मौका खिलाफ कानून, खिलाफ पुर्व रिकार्ड एवं नियम विरूद्ध हैं। जिस गलत इन्द्रजात की जानकारी मिन वादी को होने पर मिन वादी द्वारा हाल व इससे पुर्व की जमाबन्दीयात की नकले लेकर हाल जमाबन्दी मे हिस्सा पुर्व की जमाबन्दी के मुताबिक दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार नीमराना के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया । जिस पर तहसीलदार नीमराना द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाई जाने का आदेश दिया जाकर अपने पास रख लिया जिस बाबत मिन प्रार्थी कई बार तहसील कार्यालय पर आकर अपने प्रार्थना पत्र के बारे मे पुछताछ की तो मुझे यह बताया किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट नही आयी है। लेकिन अब दिनांक 08.09.2021 को मै तहसीलदार नीमराना के कार्यालय पर अपने प्रार्थना पत्र की पुछताछ की तो मुझे मूल प्रार्थना पत्र वापिस लौटाकर कहा गया कि इस प्रकार का निस्तारण उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष दावा पेश करवाकर करवाया जा सकता है। इसलिए मिन वादी द्वारा यह दावा दुरूस्ती इन्द्राजात का न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया है।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मत तलब किया गया। प्रतिवादी बाद तामिल न्यायालय मे उपस्थित होकर,जबाब प्रस्तुत किया गया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपने दावा के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिये कि दावा मे वर्णित आराजी के सैग्रिगेशन जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 से पुर्व की जमाबन्दी मे वादी 1/2 दर 1 बैल का खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो खातेदारी हिस्सा सही

दर्ज है। जिस पर वादी आज भी मौके पर काबिज है। पुर्व रिकार्ड के मुताबिक आराजी मुतनाजा का 8 बैला मे बंटवारा किया हुआ है। लेकिन सैग्रिगेशन जमाबन्दी तैयार की गई उसमे वादी को 1/42 हिस्से का खातेदार दर्ज कर दिया गया जो खातेदारी हिस्सा खिलाफ मौका खिलाफ पुर्व रिकार्ड है जो वादी के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर है। जिसे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन मे पेश दस्तावेजात के वादी का वाद पूर्ण रूप से सावित है तथा तहसीलदार नीमराना द्वारा अपने जबाब मे भी वादी के नाम से हाल रिकार्ड मे खातेदारी हिस्सा–गलत दर्ज करने की पुष्ठि की गई है। इसलिए वादी का वाद डिक्री किया जाना न्याय संगत है।

हमने वकील वादी की बहस पर गहनता से मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।पत्रावली मे पेश जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 मे " विधानन्द पुत्र मु. अमीलाल 1/2 दर 1 बैल" दर्ज रिकार्ड है लेकिन सैग्रिगेशन जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 मे उक्त खातेदार विधानन्द पुत्र अमीलाल को हिसस्ज्ञ–1/42 दर्ज किया हुआ है। जो पुर्व रिकार्ड से भिन्न है। जिसे वादी दुरूस्त करवाकर पुर्व जमाबन्दी के मुताबिक खातेदारी हिस्सा दर्ज करवाने के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है। हाल जमाबन्दी मे पुर्व रिकार्ड के मुताबिक हिस्सा दर्ज किया जाने से किसी भी खातेदार के खातेदारी हिस्सा प्रभावित नही होता है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो एवं तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश जबाब दावा के आधार पर वादी का वाद सावित पाया जाने पर डिक्री किये जाने योग्य है।

**:: आदेश ::**

अतः वाद वादी, इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 330 रकबा 0.08 है0, 334 रकबा 0.09 है0, 335 रकबा 0.16 है0, 352 रकबा 0.19 है0, 353 रकबा 0.09 है0, 126 रकबा 0.54 है0, 331 रकबा 0.08 है0, 336 रकबा 0.73 है0, 337 रकबा 0.51 है0, 405/793 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम हुडियाकलां तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 के हाल जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 मे जहां पर " विधानन्द पुत्र अमीलाल हिस्सा–1/42 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार" दर्ज किया हुआ है उसे पुर्व जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के मुताबिक दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर " " विधानन्द पुत्र अमीलाल हिस्सा–1/2 दर 1 बैल जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार" दर्ज किया जाने की घोषिणा की जाती है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 21-12-2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

21-12-2023

पंकज बडगूजर
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

::पर्चा डिक्री::

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 365 / 21 — तारीख रजू : 23.09.2021 — निर्णय दिनांक 21-12-2023

उनवान

1. विधानन्द पुत्र अमीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम हुडियाकलां तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमराना

...प्रतिवादी

दावा दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थिती– श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

:: आदेश ::

अतः वाद वादी, इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 330 रकबा 0.06 है0, 334 रकबा 0.09 है0, 335 रकबा 0.16 है0, 352 रकबा 0.19 है0, 353 रकबा 0.09 है0, 126 रकबा 0.54 है0, 331 रकबा 0.08 है0, 336 रकबा 0.73 है0, 337 रकबा 0.51 है0, 405 / 793 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम हुडियाकलां तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 के हाल जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 मे जहां पर " विधानन्द पुत्र अमीलाल हिस्सा–1 / 42 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार" दर्ज किया हुआ है उसे पुर्व जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के मुताबिक दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर " " विधानन्द पुत्र अमीलाल हिस्सा–1 / 2 दर 1 बैल जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार" दर्ज किया जाने की घोषिणा की जाती है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जताा है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

21-12-2023

पंकज बड़गुजर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0